न्यूज़ टुडे

भारत और मॉरीशस ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया

भारत के प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीशस ने **उन्नत रणनीतिक साझेदारी (Enhanced Strategic Partnership) के लिए एक संयुक्त विज़न** का अनावरण किया। इसके अलावा, दोनों देशों ने विविध क्षेत्रकों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों को मजबूत करने में **पी.एम. नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए उन्हें मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया।

यात्रा की प्रमुख उपलब्धियां

- **स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन-देन:** सीमा पार लेन-देन के लिए **स्थानीय मुद्राओं के उपयोग** को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- **महासागर (MAHASAGAR):** भारत ने **ग्लोबल साउथ के लिए एक नए विज़न** की घोषणा की। इसे "महासागर/MAHASAGAR" यानी **"क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति"** नाम दिया।
  - यह विकास के लिए **व्यापार की भावना,** सतत विकास के लिए **क्षमता निर्माण** और साझा भविष्य के लिए **पारस्परिक सुरक्षा** पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **अन्य:** समुद्री डेटा को साझा करने, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु संयुक्त कार्य आदि से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-मॉरीशस संबंध

- **राजनयिक संबंध:** भारत ने **1948 में मॉरीशस के साथ राजनयिक संबंध** स्थापित किए थे।
- **व्यापार:** भारत का मॉरीशस के साथ **व्यापार अधिशेष** है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच **कुल 554.19 मिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।
  - भारत-मॉरीशस ने **2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** **वित्त वर्ष 2023-24** में मॉरीशस भारत में **FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** था। पहले स्थान पर **सिंगापुर** था।
- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध:** मॉरीशस की कुल आबादी में **लगभग 70% लोग भारतीय मूल** के हैं।
- **विश्व में हिंदी को बढ़ावा** देने और इसके प्रचार-प्रसार के लिए **मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय** की स्थापना की गई है।

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने 'भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति 2024' रिपोर्ट जारी की

रिपोर्ट में **समग्र आवास परिदृश्य, आवास योजनाओं का विश्लेषण तथा क्षेत्र में प्राथमिक ऋण संस्थानों की भूमिका** पर भी चर्चा की गई है।

रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदु

- हाउसिंग लोन में **बैंकों की हिस्सेदारी 81%** है, जबकि **हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) की हिस्सेदारी 19%** है।
- **ऋणों का वितरण (बकाया):** व्यक्तिगत आवास ऋणों में **मध्य आय समूह** की हिस्सेदारी 43.45% है; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) **और निम्न आय समूह** का हिस्सा 39% है तथा उच्च आय समूह (HIG) **का 17%** हिस्सा है।
- **आवास ऋण (GDP के प्रतिशत के रूप में):** यह **वित्त वर्ष 2011-12 में 6.60%** था, जो **2023-24 में बढ़कर 11.29%** हो गया।
- **ग्रीन बिल्डिंग:** केवल **5% इमारतों** को हरित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में आवास क्षेत्रक में मौजूद चुनौतियां:

- **हाउसिंग फाइनेंस के संदर्भ में मौजूद क्षेत्रीय असमानता:** संचयी ऋण संवितरण में **दक्षिणी** राज्यों की हिस्सेदारी 35%, **पश्चिमी** राज्यों की 30%, **उत्तरी** राज्यों की 28%, **पूर्वी** राज्यों की 5.4% तथा **उत्तर-पूर्वी** राज्यों की 0.68% रही है।
- **जलवायु जोखिम:** बाढ़, आगजनी और चरम मौसमी घटनाओं के प्रति बढ़ती सुभेद्यता के कारण भविष्य में टिकाऊ एवं ऊर्जा-कुशल भवनों की आवश्यकता होगी।
- **ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित मुद्दे:** प्रमाणन निकायों की सीमित संख्या, मानक प्रमाणन ढांचे की कमी, भवन निर्माण सामग्री की उच्च लागत आदि।

नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में

- यह **राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987** के तहत स्थापित एक **वैधानिक निकाय** है।
- यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की निगरानी करता है, हालांकि **विनियामकीय शक्तियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के पंजीकरण सहित) भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरित** कर दी गई हैं।
- **अधिकृत पूंजी:** 1,450 करोड़ रुपये (संपूर्ण पूंजी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त)।
- मुख्यालय: **नई दिल्ली।**

अवसर

- **तकनीकी उन्नति:** उदाहरण के लिए- **AI, डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग** जैसी प्रौद्योगिकियां भवन निर्माण लागत को कम कर सकती हैं। साथ ही, आवासीय परियोजनाओं को गति भी दे सकती हैं।
- **तरलता में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) लघु निवेशकों को बड़े पैमाने की रियल एस्टेट परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स निवेशकों के लिए अधिक लिक्विड निवेश विकल्प होते हैं, क्योंकि वे इन्हें आसानी से बेचकर नकदी प्राप्त कर सकते हैं।
- **बजट प्रोत्साहन (2025-26):** शहरी चुनौती निधि (Urban Challenge Fund), आवास क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन आदि।

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर 2028 तक सबसे बड़ा वेब-3 (web3) डेवलपर कम्युनिटी बन सकता है

हैश्ड इमर्जेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेब-3 क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी नए डेवलपर्स में से **17% भारत** से हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में **सबसे अधिक** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत का बढ़ता हुआ वेब-3 क्षेत्र**
  - वर्ष 2024 में **4.7 मिलियन से अधिक डेवलपर्स गिटहब (GitHub)** से जुड़े हुए थे। यह एक साल में **28% की वृद्धि** दर्शाता है।
- **चुनौतियां:**
  - वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) एक **'समानांतर मुद्रा'** के रूप में कार्य कर रही हैं, जिनसे निपटना चुनौती साबित हो रही है।
  - वेब का समर्थन करने वाले **नीतिगत एजेंडे की कमी** है।
  - वेब-3 के लिए **अलग विनियामक संस्था मौजूद नहीं** है।
- **आगे की राह**
  - वेब गतिविधियों के प्रशासन और निगरानी के लिए प्रतिबंधात्मक नियम की बजाय इसे बढ़ावा देने वाले सरल नियम बनाने की आवश्यकता है।
  - भारत में भी **G-20 और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के वैश्विक मानदंडों** के अनुरूप नियम बनाने की आवश्यकता है।

वेब-3 क्या है?

- वेब-3 वास्तव में **इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन की प्रौद्योगिकियों को समाहित** करने वाली शब्दावली है। इसमें **ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें** शामिल हैं।
  - वेब-3 का उद्देश्य **डेटा के स्वामित्व का विकेंद्रीकरण करना और मध्यवर्तियों पर निर्भरता को कम** करना है। इस तरह वेब पर उपलब्ध सूचनाओं पर व्यक्ति यानी यूजर का स्वयं का नियंत्रण होता है।
  - ब्लॉकचेन **विकेन्द्रीकृत और वितरित खाता-बही (लेजर)** है। ब्लॉकचेन में डेटा को विकेन्द्रीकृत तरीके से **कम्प्यूटर्स या नोड्स के नेटवर्क पर संग्रहित** किया जाता है, जहां ब्लॉक एक साथ श्रृंखला से जुड़े होते हैं।
  - **ब्लॉकचेन की विशेषताएं:**
    - **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (Smart Contracts):** इसमें डिजिटल अनुबंध अपने आप लागू हो जाते हैं।
    - **वितरित (Distributed):** सभी विश्वस्त भागीदारों के पास खाता-बही (लेजर) की एक कॉपी होती है, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।
    - **सुरक्षित (Secured):** सभी रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से एन्क्रिप्टेड होते हैं।
    - **अपरिवर्तनीय (Immutable):** एक बार वैध ठहराया गया रिकॉर्ड बदला नहीं जा सकता।
    - **विश्वसनीय (Trusted):** डेटा विकेंद्रीकृत होता है और इसे कई भागीदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
    - **सर्व-सहमति (Consensus):** नेटवर्क में शामिल सभी भागीदार प्रत्येक रिकॉर्ड की वैधता पर सहमत होते हैं।
    - **लेन-देन के समय-का उल्लेख (Time-stamped):** प्रत्येक लेन-देन का समय ब्लॉक पर दर्ज किया जाता है।
- **वेब-3 के उपयोग:**
  - NFTs (नॉन-फंजिबल टोकन्स) बनाने में;
  - विकेंद्रीकृत वित्त-पोषण (DeFi - Decentralized Finance) में;
  - वास्तविक परिसंपत्तियों के टोकेनाइज़ेशन में;
  - स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने में आदि।

पैरामीटर	वेब-1.0	वेब-2.0	वेब-3.0
कार्य	केवल पढ़ने में सक्षम वेब	कंटेंट पढ़ने और लिखने में सक्षम वेब	पढ़ने, लिखने के अलावा कोड या प्रोग्राम को सीधे लागू करने में सक्षम वेब
उपयोगकर्ता	लाखों उपयोगकर्ता	बिलियन उपयोगकर्ता	ट्रिलियन उपयोगकर्ता
लक्ष्य	**जानकारी साझा करना**	**परस्पर अंतर्क्रिया (इंटरैक्शन)**	**गहराई से जुड़ना या शामिल होना (इमर्शन)**
प्लेटफॉर्म	कॉमन गेटवे इंटरफेस (CGI)	कम्युनिटी-बेस्ड वेब	सिमेंटिक वेब (मशीनों के लिए)

***सिमेंटिक वेब:** यह डेटा को लिंक करने में सक्षम बनाता है। इससे वेबसाइट, ऐप्लीकेशन और फाइलों के बीच बिना किसी बाधा के डेटा एकीकरण एवं सूचनाओं को साझा करना संभव होता है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 के लिए बजट अनुमान (BE) संबंधी आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है।

इस रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां एवं सिफारिशें:

इस रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां एवं सिफारिशें:

आधार	टिप्पणी	सिफारिशें
बजट आवंटन	**संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान कम रहने की निरंतर प्रवृत्ति** देखी गई है (मुख्यतः योजनाओं की **मांग आधारित प्रकृति** के कारण)।	यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **राज्य फंड संबंधी अपनी मांग समय पर प्रस्तुत कर सकें** तथा आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग कर सकें।
योजनाओं का कार्यान्वयन	**पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं** हो रहा है। इसका कारण सार्वजनिक जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी है।	**कार्रवाई हेतु क्षमता निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा **मजबूत निगरानी फ्रेमवर्क विकसित** करना चाहिए।
	संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: उदाहरण के लिए इसके तहत 34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई धनराशि **नहीं मिली** है।	**राज्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु उपाय करने चाहिए, ताकि धनराशि समय पर जारी** की जा सके।
	गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व/ SVAMITVA) योजना: मंत्रालय अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका (इसके तहत बिहार में कोई काम नहीं किया गया) है।	इसके कार्यान्वयन के लिए **ठोस कार्य योजना विकसित** करनी चाहिए और **व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित** करना चाहिए।
प्रशिक्षित जनशक्ति	**सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए-** बिहार में 5 से 6 ग्राम पंचायतों का प्रबंधन केवल एक अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।	कार्यभार कम करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए **डिजिटल गवर्नेंस संबंधी पहलों** को अपनाना चाहिए।
अनुदान के प्रकार	सशर्त (Tied) अनुदान (आवंटन का 60%) का उपयोग निर्धारित कार्य या योजनाओं के लिए होता है, जबकि गैर-सशर्त (Untied) अनुदान (40%) का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।	अधिक सुगमता और सहूलियत के लिए **सशर्त और गैर-सशर्त अनुदान की अवधारणा के मध्य के अंतर को समाप्त** करना चाहिए।
पंचायत चुनाव	अलग-अलग राज्यों **में पंचायत चुनावों में देरी देखी** जा रही है। जैसे कर्नाटक (2021)	73वें संविधान संशोधन के अनुसार **समय पर चुनाव** कराना चाहिए।
राजस्व सृजन	सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है।	पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय शुल्कों के माध्यम से **अपना राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त** बनाना चाहिए।

संसद में कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में **निम्नलिखित चिंताओं को रेखांकित किया है:**

- **बजटीय आवंटन में लगातार गिरावट:** केंद्रीय कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय व्यय के प्रतिशत के रूप में **2021-22 के 3.53% से घटकर 2025-26 में 2.51%** हो गया है।
- **आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं होना:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने 2024-25 में आवंटित धनराशि का **केवल 59.84% ही उपयोग** किया है।
- **फसल अपशिष्ट प्रबंधन में समस्या:** फसल अपशिष्टों का बायोफ्यूल उत्पादन या कम्पोस्टिंग के रूप में उपयोग के लिए विकसित बाजारों की कमी है। ये किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकते हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **विभाग के नाम में बदलाव:** 'कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW)' का नाम बदलकर **'कृषि, किसान एवं कृषि श्रमिक कल्याण विभाग'** किया जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्रक में कृषि श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जा सकेगा।
  - **पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कृषि श्रमिकों को भी दिया** जाना चाहिए।
- **कृषि श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन-निर्वाह वेतन आयोग (National Commission for Minimum Living Wages for Farm Labourers) की स्थापना की जानी चाहिए:** इससे कृषि श्रमिकों की मजदूरी में असमानता को दूर करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **सभी जैविक (ऑर्गेनिक) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जानी चाहिए:** इससे किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- **लघु कृषकों के लिए "निःशुल्क और अनिवार्य" फसल बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए:** इसका लाभ उन लघु कृषकों को दिया जाना चाहिए, जिनके पास **दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि** है।
- **फसल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जानी चाहिए:** इन रणनीतियों में नीतिगत उपाय, किसान शिक्षा, तकनीकी नवाचार और वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल हैं।
- **अन्य सिफारिशें:**
  - कृषि क्षेत्रक के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए,
  - कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) को सशक्त बनाना चाहिए,
  - कृषि से संबंधित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रभावी विज्ञापन एवं प्रचार अभियान चलाना चाहिए आदि।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (2024-25) जारी की गई

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **उपभोक्ता आयोगों को मजबूत बनाने की योजना:** राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में लगातार पदों का रिक्त रहना इस योजना की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।
  - राज्य आयोगों के अध्यक्ष के **कुल 36 स्वीकृत पदों में से 18 (50%) पद रिक्त हैं।**
- **उपभोक्ता कल्याण कोष (CWF):** CWF से संबंधित 2024-25 के संशोधित अनुमान (RE) का केवल **71.5% उपयोग** किया गया है।
  - धन का वितरण **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)** के तहत कई राज्यों और प्रमुख एजेंसियों जैसे कि नेफेड, केंद्रीय भंडार को दी जाने वाली राशि एक समान नहीं रही है।
- **उपभोक्ता आयोगों का कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग:** इसके विस्तार से उपभोक्ता संबंधी मामलों का प्रबंधन सुव्यवस्थित हुआ है, **देरी होने से संबंधित घटनाएं कम हुई हैं और न्याय तक पहुंच में सुधार** हुआ है।
- **अन्य:** वर्तमान में, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा **भारतीय मानक समय को अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया** जा रहा है।
  - अलग-अलग प्रणालियों में समय को लेकर **एकरूपता के अभाव के चलते साइबर अपराधों की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कठिनाई का सामना करना पड़** रहा है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिक्त पदों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर भरने के लिए तत्काल व सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
- फंड रिलीज की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वितरण में देरी कम हो सके और फंड का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

अन्य सुर्ख़ियां

पीएम-युवा 3.0 (PM-YUVA 3.0)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम-युवा 3.0 (यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स) लॉन्च किया।

पीएम-युवा 3.0 के बारे में

- यह **लेखक-मेंटरशिप कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **30 वर्ष से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित** करना है। यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप है।
- **उद्देश्य:** पढ़ने, लिखने और पुस्तक-संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: नेशनल बुक ट्रस्ट।**
- **कुल 50 लेखकों का चयन निम्नलिखित विषयों पर आयोजित एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा:**
  - राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान;
  - भारतीय ज्ञान परंपरा;
  - आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025) आदि।
- चयनित पुस्तकों को **NBT द्वारा प्रकाशित** किया जाएगा और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। इससे **सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा मिलेगा तथा **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** की भावना को मजबूत किया जाएगा।

APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी

डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं के कारण APAAR आईडी प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं।

APAAR ID के बारे में

- यह भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है।
  - यह **12-अंकों का एक विशिष्ट कोड है।** यह आईडी विद्यार्थियों को अपना **स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेडशीट, डिग्री जैसे सभी शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत, प्रबंधित और एक्सेस** करने में मदद करेगी।
- यह केंद्र सरकार की **'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी'** पहल का हिस्सा है। यह नई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है।**
- **लाभ:**
  - यह विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश आसान बनाता है,
  - यह विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्ति में मदद करता है,
  - यह विद्यार्थियों को अपनी पसंद के हिसाब से शिक्षा का मार्ग चुनने के लिए सशक्त बनाता है, आदि।

माइसीलियम ईंटें (Mycelium Bricks)

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार **माइसीलियम ईंटें** निर्माण उद्योग को अपने **कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अधिक संधारणीय बनने** में मदद कर सकती हैं।

माइसीलियम ईंटों के बारे में

- ये ईंटें **बायोडिग्रेडेबल, अग्निरोधक और ताप-रोधी** होती हैं। ये **माइसीलिया** से बनाई जाती हैं, जो **कवक (Fungus) के शाखायुक्त तंतु** हैं।
  - माइसीलियम वास्तव में **कवकों से प्राप्त पतले जड़ जैसे रेशे** होते हैं।
- माइसीलियम ईंटें पारंपरिक निर्माण सामग्री की जगह एक **संधारणीय और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प** प्रदान करती हैं।
- **मुख्य चुनौतियां:**
  - माइसीलियम आधारित निर्माण सामग्री पारंपरिक सामग्रियों **(जैसे कंक्रीट, ईंट या स्टील)** जितनी मजबूत नहीं होती।
  - इनके उत्पादन में अधिक लागत आती है,
  - नमी वाले वातावरण में ख़राब हो सकती हैं, आदि।

प्लास्टिक आइस VII

वैज्ञानिकों ने **एडवांस्ड न्यूट्रॉन-स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट** के माध्यम से प्लास्टिक आइस VII नामक **जल के चौथे स्वरूप** की पुष्टि की।

प्लास्टिक आइस VII के बारे में

- यह बर्फ या आइस का एक असामान्य चरण है, जो उच्च तापमान और उच्च दबाव पर बनता है। यह अंतरिक्ष में जल की मौजूदगी के बारे में हमारी समझ को नया आयाम देगा।
- इसक निर्माण **>3 गीगापास्कल (दबाव) और >450 केल्विन (तापमान)** पर हुआ है।
- यह चरण जल के अणुओं को कठोर क्रिस्टलीय संरचना के भीतर स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम बनाता है।
- **इस खोज का महत्त्व**
  - **ग्रहीय विज्ञान:** प्लास्टिक आइस VII का व्यवहार महासागरीय दुनिया और बहिर्ग्रहों (Exoplanets) के अंदरूनी भागों की समरूप दशाओं का निर्माण करने में मदद कर सकता है।
  - **बहिर्ग्रहों पर जीवन की संभावना:** गहरे महासागरों में पोषक तत्वों के परिवहन की इसकी क्षमता, बहिर्ग्रहों पर जीवन की संभावना को साकार कर सकती है।
- इससे **अंतरिक्ष में जल के बारे में हमारी समझ बदल** गई है ।

अस्त्र मिसाइल

एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने अस्त्र (ASTRA) मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

इसकी प्रमुख विशेषताएं

- यह DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित **'बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल'** (BVRAAM) है।
- **रेंज:** 80-110 किमी।
- **अधिकतम गति:** मैक 4.5
- यह **एडवांस्ड गाइडेड और नेविगेशन क्षमताओं** से लैस है।

गीत गवई

मॉरीशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री का स्वागत **पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत गावई** के साथ किया गया।

गीत गवई के बारे में

- यह **विवाह-पूर्व समारोह है।** इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं।
- इसे **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल** किया गया है।
- इसका प्रदर्शन मॉरीशस में भारतीय मूल के **भोजपुरी भाषी समुदायों** द्वारा किया जाता है ।
  - **प्रतिभागी:** परिवार की महिला सदस्य और पड़ोसी।
- **मुख्य वाद्य यंत्र:** ढोलक।
- इसका प्रदर्शन **सार्वजनिक रूप** से भी किया जा सकता है और वर्तमान में **पुरुष भी इसमें भाग** लेते हैं।

तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक

लोकसभा ने **तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक** पारित किया।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- इस विधेयक द्वारा **तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948** में संशोधन किए गए हैं।
- **उद्देश्य:** तेल क्षेत्र (ऑयल फील्ड) के कानूनी फ्रेमवर्क में सुधार करना, ताकि यह वर्तमान आवश्यकताओं और बाजार की मांग-पूर्ति के अनुकूल हो सके। साथ ही, ऑयल फील्ड को निवेशकों के निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके।
- **खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार:** विधेयक के अनुसार **खनिज तेल की श्रेणी में सभी प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/ तेल** भी शामिल होंगे।
- **एकल परमिट प्रणाली की शुरुआत:** अब **पेट्रोलियम लीज** नामक एक ही परमिट प्रणाली लागू होगी।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024

IQAir ने **7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024** जारी की।

- यह रिपोर्ट **वर्ष 2024 में विश्व में वायु गुणवत्ता की स्थिति** का मूल्यांकन करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **केवल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत PM2.5 गाइडलाइन को पूरा किया है। ये देश हैं:** ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड।
  - **WHO के अनुसार वायु में सूक्ष्म कणीय पदार्थ (PM 2.5) की वार्षिक औसत मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (5 µg/m3) से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **2024 के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं: चाड > बांग्लादेश > पाकिस्तान > कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य > भारत।**
  - **दिल्ली अब भी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर** बना हुआ है।
- **भारत का बर्नीहाट (असम) 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र** रहा है।
- **ओशिनिया** विश्व का **सबसे स्वच्छ क्षेत्र है।**

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

ग्वाटेमाला (राजधानी: ग्वाटेमाला सिटी)

ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में उद्गार से तप्त पदार्थ और पाइरोक्लास्टिक प्रवाह निकल रहा है।

ग्वाटेमाला के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** यह **मध्य अमेरिका** में स्थित है।
  - **सीमावर्ती देश:** इसके उत्तर में **मैक्सिको,** उत्तर-पूर्व में **बेलीज़,** तथा दक्षिण में **होंडुरास और अल साल्वाडोर** स्थित हैं।
  - **सीमावर्ती जल निकाय:** इसके पूर्व में **होंडुरास की खाड़ी** तथा दक्षिण में **प्रशांत महासागर** स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **उच्चतम बिंदु:** टाजुमुल्को ज्वालामुखी (4,220 मीटर)- यह **मध्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी** है।
  - **प्रमुख ज्वालामुखी:** पकाया, फ्यूगो, सांता मारिया आदि।
  - **प्रमुख मैदान और क्षेत्र:** प्रशांत तटीय मैदान, पेटेन क्षेत्र आदि।